

## आवश्यक सूचना

“अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में संशोधन 2011”

अनुसूचित जाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अत्याचार होने की स्थिति में विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार आर्थिक सहायता का विवरण

।

(राहत राशि के लिए मापदण्ड)

क्र०सं० (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम राशि (3)
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना (धारा 3(1)(i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 60,000/-रुपये या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा।
2	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना (धारा (1) (ii)]	दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : 1. 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए। 2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषिसिद्ध ठहराया जाए।
3	अनादरसूचक कार्य (धारा 3(1)(iii)]	
4	सदोष भूमि अभियोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि (धारा 3(1)(iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/-रु0 या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।
5	भूमि, परिसर या जल से सम्बन्धित (धारा 3(1)(v)]	
6	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी (धारा 3(1)(vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/-रु0, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
7	मतदान के अधिकार के संबंध में (धारा 3(1)(vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/-रु0 तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।
8	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही (धारा 3(1)(viii)]	60,000/-रु0 या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।
9	मिथ्या या तुच्छ जानकारी (धारा 3(1)(ix)]	

10	अपमान, अभित्रास और अवमानना (धारा 3(1)(x))]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/—रु0 तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष-सिद्ध होने पर।
11	किसी महिला की लज्जा भंग करना (धारा 3(1)(xi))]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,20,000/—रु0, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12	महिला का लैंगिक शोषण (धारा 3(1)(xii))]	
13	पानी गन्दा करना (धारा 3(1)(xiii))]	2,50,000/—रु0 तब जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14	मार्ग के रुद्धिजन्य अधिकार से वंचित करना (धारा 3(1)(xiv))]	2,50,000/—रु0 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जा नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
15	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना (धारा 3(1)(xv))]	स्थल बहाल करना। ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/—रु0 का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाए।
16	मिथ्या साक्ष्य देना (धारा 3(2)(i) और (ii))]	कम से कम 2,50,000/—रु0 या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।
17	भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना (धारा 3(2))]	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/—रु0 यदि अनुसूची में विशिष्ट। अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।
18	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न (धारा 3(2)(vii))]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए, किया जाएगा।
19	निःशक्तता की परिभाषा निःशक्त व्यक्ति (समान	

	<p>अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी। अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबन्ध-2 पर सलंग्न है।</p> <p>(क) 100 प्रतिशत असमर्थता</p> <p>(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य</p> <p>(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य</p> <p>(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।</p>	<p>अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000/-रु0, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।</p> <p>अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000/-रु0, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/ चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।</p> <p>उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वहीं रहेंगे। तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40,000/-रु0 से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/-रु0 से कम नहीं होगा।</p>
20	<p>हत्या/मृत्यु</p> <p>(क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य</p> <p>(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य</p>	<p>प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/-रु0। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।</p> <p>प्रत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/-रु0। 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर।</p>
21	<p>हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित।</p>	<p>उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाये:-</p> <p>(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के</p>

		<p>मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/-रु0 प्रतिमास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा।</p> <p>(ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/अवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए।</p> <p>(iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।</p>
22	पूर्णतया नष्ट करना जला हुआ मकान ।	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो । वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।”

महानिदेशक  
 अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग  
 हरियाणा, चण्डीगढ़